राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 559/2018/जयपुर.

मैसर्स ए.सी.एल. इन्फ्राटेक प्रा0 लिमिटेड, ...अपीलार्थी.
E–97, RIA एवेन्यू, F–3, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, ...प्रत्यर्थी.
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन–III, जयपुर.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/11/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 48/अ.प्रा.–II/आरवीएटी/जयपुर/2017–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 06.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिये प्रस्तुत वार्षिक विवरण–प्रपत्र वैट–10ए में कुल व्यापारावृत रूपये 9.06 करोड़ दर्शाया गया था, परन्तु इसमें रूपये 7.71 करोड़ को इस वर्ष की ठेका राशि से प्राप्तियां एवं रूपये 1.31 करोड़ की Accrual Income (संचित आय) बताई गई थी परन्तु इस राशि से सम्बन्धित ठेका कार्य अगले वर्ष 2014–15 में पूर्ण होने से उस वर्ष की प्राप्तियों को नॉन ई.सी. की प्राप्तियां मानते हुए उस पर 25 प्रतिशत मजदूरी खर्चे की छूट देते हुए अवशेष राशि पर 14 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश को यथावत रखा गया, जिसमें यह टिप्पणी की गयी कि अधिकृत प्रतिनिधि ने वर्ष 2014–15 के कोई दस्तावेज अपील स्तर पर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 27.5.2016 को वर्ष 2013–14 का जो कर निर्धारण आदेश पारित किया था उसमें समस्त संविदा कार्यों के मूल्य पर करारोपण किया गया था जिसके सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा संशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया था कि उक्त कार्य में से रूपये 1.34 करोड़ का कार्य अगले वर्ष अर्थात् वर्ष 2014–15 में पूर्ण किया गया है। इस तरह रूपये 1.34 करोड़ का कार्य वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित न होकर अगले वर्ष की अवधि में पूर्ण होने से उस पर तद्नुसार करारोपण किया जा चुका है, अतः वर्ष 2013–14 में किये गये अतिरिक्त करारोपण को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया है कि वर्ष 2013–14 में जो संविदा कार्य से प्राप्तियां बताई गई थी उनमें से रूपये 7.71 करोड़ की प्राप्तियां वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित थी एवं अवशेष प्राप्तियां रूपये 1.34 करोड़ वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित थी, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013–14 में उस राशि पर करारोपण किया जाना उचित नहीं था। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय में केवल यह टिप्पणी की गयी है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई दस्तावेज इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः अपीलार्थी के कथन की पुष्टि नहीं होने से अपील अस्वीकार की गयी है।

8. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये कथन में लेखा–पुस्तकों से सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है कि क्या उनके द्वारा दर्शाये गये संविदा कार्य की प्राप्तियां दो वर्षों में विभक्त होने से उस पर करारोपण हो चुका है अथवा नहीं, अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी के कथन का उनके द्वारा प्रस्तुत लेखा–पुस्तकों से सत्यापन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि जिन प्राप्तियों पर वर्ष 2013–14 में करारोपण किया गया है उसमें संविदा कार्यों से सम्बन्धित प्राप्तियों पर वर्ष 2014–15 में करारोपण हो चुका है अथवा नहीं, एवं सत्यापन करने के पश्चात् तद्नुसार पुनः संशोधन आदेश पारित करें।

लगातार.....3

9. अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 20.12.2018 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 से सम्बन्धित लेखा–पुस्तकें प्रस्तुत करें एवं प्राप्तियों के सम्बन्ध में किये गये करारोपण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

10. अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य